**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या 2923**

**दिनांक 21.03.2018/30 फाल्‍गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए**

**रामराज रथ यात्रा का विरोध**

**2923. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डीः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या साम्प्रदायिक तनाव और हिंसा की आशंका में राजनीतिक दलों एवं गैर सरकारी संगठनों ने रामराज रथ यात्रा का विरोध किया था;**

**(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;**

**(ग) साम्प्रदायिक शांति को भंग न होने देने तथा व्यक्तियों के जीवन जीने तथा स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए यात्रा के रास्ते पर कानून और शान्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;**

**(घ) क्या कर्णाटक से यात्रा के लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति प्राप्त की गई है क्योंकि इस वर्ष अप्रैल में वहां चुनाव होने वाले हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और**

**(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

(क) से (ग): "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्य के विषय हैं। सांप्रदायिक तनाव और हिंसा सहित कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारें कानून के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं।

-2-

राज्य सभा अता. प्रश्न संख्या 2923

हालांकि, केंद्र सरकार देश में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की विभिन्न तरह से सहायता करती है जिसमे सांप्रदायिक सद्भाव पर असर डालने वाले प्रमुख घटनाओं के सम्बन्ध में समय समय पर आसूचना साझा करना, सतर्क सन्देश भेजना, परामर्शी-पत्र जारी करना आदि शामिल हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध पर केन्द्र सरकार, सांप्रदायिक स्थिति से निपटने के लिए विशेष रूप से बनाई गई कंपोजिट रैपिड एक्शन फोर्स सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को भेजती है।

      केंद्र सरकार ने 2008 में संशोधित साम्प्रदायिक सद्भावना दिशानिर्देश जारी किए थे जिसमें, अन्य बातों के साथ साथ, सांप्रदायिक हिंसा से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से निपटने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया निर्धारित की गयी थीं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य सांप्रदायिक हिंसा की कई संभावित घटनाओं को रोकने और पूर्व-कारवाई करने के लिए सतर्कता बरतना, सावधानीपूर्वक योजना तैयार करना और प्रारंभिक उपाय करना है। तत्काल संवेदीकरण के उद्देश्य से, खासकर विभिन्न उत्सवों से पहले समय समय पर परामर्शी-पत्र जारी करते हुए इन दिशानिर्देशों को दोहराया जाता है।

(घ) एवं (ङ): चुनाव आयोग ने अब तक कर्नाटक विधान सभा के लिए आम चुनाव की घोषणा नहीं की है। अतः, अभी आदर्श आचार संहिता लागू नहीं हुई है।

\*\*\*\*\*\*